

## विचार बिन्दु

ज्ञानी जन विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी पुरुष आवश्यकता से और पशु स्वभाव से। -कौटिल्य

## आवश्यकता कानून की नहीं, व्यवस्था सुधारने की है

गत 15 दिनों से पूरे राजस्थान के निजी चिकित्सक हड़ताल पर हैं और इनका आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित "स्वास्थ्य का अधिकार कानून" को निरस्त करवाना। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार द्वारा यह कानून कई स्तर पर विचार-विमर्श के बाद बनाया गया। विधान में इससे संबंधित बिल प्रस्तुत किया गया था जिसे विस्तृत चर्चा हेतु प्रारंभिक चर्चा सौंप दिया गया। इस समिति में सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायक सम्मिलित थे। इस समिति द्वारा निजी चिकित्सकों एवं अन्य संस्थाओं से विचार विमर्श के पश्चात अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई। उसके बाद सरकार ने इसे संशोधित रूप में "स्वास्थ्य का अधिकार बिल" के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया और जिसे बहुसंख्यक के बाद पारित किया गया। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना बताया गया है।

राजस्थान के सभी निजी चिकित्सकों की हड़ताल के कारण राज्य के मरीजों को राज्य के बाहर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल इतना अतिरिक्त भार वहन करने में सक्षम नहीं हैं। परोक्ष रूप से राजस्थान के सरकारी चिकित्सकों का भी समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त हो रहा है।

हड़ताली चिकित्सकों ने एक विशाल रैली का आयोजन जयपुर में किया और अपनी एकजुटता तथा शक्ति का प्रदर्शन किया। ध्यान देने योग्य है कि विधानसभा में बिल प्रस्तुत होने के पूर्व ही आंदोलन प्रारंभ हो गया था और सरकार ने चिकित्सकों के प्रतिनिधियों से वार्ता की और उन्हें बिल में संशोधन के आश्वासन भी दिए। अब जो कानून बना है, वह इसी वार्ता के अनुरूप बनाया गया। इसके पश्चात भी जब निजी चिकित्सकों द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है और किसी भी प्रकार का इलाज निजी चिकित्सालय में नहीं हो रहा है जिसके कारण राज्य के नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं तो यह विचार करना आवश्यक है कि इस कानून का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है?

यह जानना उपयोगी होगा कि राज्य में जितने मरीजों का इलाज होता है उनमें से लगभग दो तिहाई का निजी चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

निजी चिकित्सालय दो प्रकार के हैं, एक तो ऐसे जो स्वयं चिकित्सकों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य ऐसे जो बड़े कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। निजी चिकित्सालय जो बड़े उद्योगपतियों द्वारा संचालित किए जाते हैं उनमें किस प्रकार चिकित्सकों को आय का लक्ष्य दिया जाता है, यह संदेह ज्ञात है। जो चिकित्सक ऐसा नहीं करना चाहते उन्हें शीघ्र ही बाहर कर दिया जाता है। इस स्थिति का चित्रण प्रभावी रूप से, दो हिन्दी फ़िल्मों, 'गम्बर इज बैक' तथा 'अंकुश अरोडा मर्डर केस' में किया गया है। निजी चिकित्सालयों, विशेषकर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बारे में धारणा बनाने में इस प्रकार की फ़िल्में सहायक होती हैं। 'गम्बर इज बैक' नामक फ़िल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार एक मृत व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और वहाँ के चिकित्सक कैसे उसके इलाज का नाटक करके बड़ी धनराशि मुक्त के रिश्तेदार से वसूल करते हैं, और बाद में यह कह दिया जाता है कि मरीज को नहीं बचाया जा सका। इसी प्रकार, दूसरी फ़िल्म में अपनी अस्पताल की गलती को छुपाने के लिए कैसे रिकॉर्ड में हेराफेरी की जाती है एवं किस प्रकार प्रयोगशालाओं को अपने पक्ष में रिपोर्ट देने हेतु मजबूर किया जाता है, इसका विस्तृत चित्रण है। सम्भव है, यह दोनों फ़िल्में कुछ बढ़ा-चढ़ा कर स्थिति का वर्णन करती हों, लेकिन निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सालय द्वारा शोषण के अनुभव निर्यात रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से सामने वैसे भी आते रहते हैं कुल मिलाकर निजी चिकित्सकों के प्रति इसी आधार पर अवधारणा बनती है।

यह सही है कि बिना निजी चिकित्सालय की सहायता के राज्य की पूरी स्वास्थ्य सेवाओं का भार सरकारी अस्पतालों द्वारा वहन किया जाना संभव नहीं है। एक और जन धारणा यह है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज करना बहुत टेढ़ी खीर है। वहाँ पर न तो सफाई होती है न सही तरह से व्यवहार किया जाता है। इसलिए कई बार साधारण परिवारों के व्यक्ति भी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के स्थान पर निजी चिकित्सालय का रुख करते हैं। ऐसी परिस्थिति में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में निजी चिकित्सालयों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। "स्वास्थ्य का अधिकार कानून" में यह

सब लोग जानते हैं कि कानून आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, आशा की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष विवेकपूर्ण निर्णय लेकर संवाद के माध्यम से इस समस्या से राजस्थान की जनता को इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे।

अनावश्यक रूप से मरीज को आईसीयू में भर्ती करने हेतु मजबूर हो जाते हैं। वास्तविक आवश्यकता तो इस प्रकार की अनैतिक, शोषणकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की है, न कि कानून बनाने की। यह काम तो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है जबकि इससे संबंधित संसद से 2010 में ही पारित हो चुका है।

इस पूरे विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था का नाकारण ही मरीजों को निजी चिकित्सालयों की ओर धकेल रहा है। सरकार यदि अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के अस्पताल सुचारू रूप से चलाना प्रारंभ कर दे तो कोई कारण नहीं कि कोई भी नागरिक निजी अस्पतालों में इलाज कराएगा। सरकार जहां अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में तो असफल रही है वहीं कानून के माध्यम से निजी अस्पतालों को अपने अंकुश में लाने का जो प्रयास कर रही है, वह एक प्रकार से अपनी कमी को दूसरों पर थोपने जैसा लगता है। हां, यदि सरकार अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी कर लेती तो फिर नागरिक के पास विकल्प होता कि वह निजी चिकित्सालय में जाए अथवा नहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश निजी चिकित्सालय एवं कारपोरेट हॉस्पिटल में सरकारी अस्पतालों से सेवानिवृत्त चिकित्सक अथवा सरकार से समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर, चिकित्सक काम कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इन चिकित्सकों का अनुभव अन्य की अपेक्षा बेहतर होता है। कई बड़े सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सालय में जाकर ऑपरेशन किए जाते हैं।

वर्तमान में राज्य के अनेक निजी चिकित्सालयों ने अपना पंजीकरण चिरंजीवी योजना और आर जी एच एस के लिए करा रखा है, जिससे मरीजों को निजी चिकित्सालय में निशुल्क चिकित्सा प्राप्त होती है। यह समझ से परे है कि राज्य की योजनाओं के अंतर्गत सरकारी चिकित्सालय में निशुल्क चिकित्सा सुविधा वर्तमान में अभी भी उपलब्ध है तो फिर यह कानून लाने की क्या आवश्यकता हुई? आवश्यकता तो इस बात की वर्तमान योजनाओं की है कि क्रियात्मिक को सुधार जाए एवं उनमें आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाए। जैसा कि ऊपर लिखा है सरकारी अस्पतालों को बहुत स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला बनाया जाए एवं उनका प्रबंधन भी दक्षता के साथ किया जाए। निजी चिकित्सालयों का अनुभव विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सरकार से राशि पुनर्भरण के संबंध में बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस कानून के माध्यम से सरकारी अधिकारियों का जोर राज्य के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर कम, निजी चिकित्सकों एवं निजी चिकित्सालय पर अंकुश लगाकर उन्हें परेशान करने पर अधिक होगा।

वास्तव में आवश्यकता नए कानून की नहीं अपितु वर्तमान व्यवस्था को सुधारने की है। इस कानून से राज्य के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, यह संदेहास्पद है। "शिक्षा का अधिकार कानून" लागू होने के 12 साल भी बाद शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। अनेक प्रकार के कानून निजी चिकित्सकों पर पहले से लागू हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी होने पर अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया जा कर उससे क्षतिपूर्ति कराई जा सकती है। मरीज और डॉक्टर का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। इस नए कानून के आने के बाद इस रिश्ते की नींव कमजोर होगी। सरकार को यह चाहिए कि वह नए कानून पर अधिक बल देने के बजाय सरकारी सुविधाओं को सुधारने पर काम करे। संसाधनों की कमी का बहाना सरकार को नहीं बनाना चाहिए। किसी भी सरकार के लिए, विशेषकर कल्याणकारी सरकार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित करना पहला दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाने का रास्ता विवेकशील नहीं कहा जा सकता। होना तो यह चाहिए कि गलत तरीके अपनाने वाले निजी चिकित्सकों पर चिकित्सा से संबंधित नियामक संस्थाएँ त्वरित कठोर कार्यवाही करें। ऐसा होने पर जनता को विश्वास होगा उसका शोषण नहीं किया जाएगा, न तो उसे मरीजों के हित में इसका एक हल संवाद के माध्यम से निकालो। राज्य सरकार इस बात पर प्रसन्न हो सकती है कि ऐसा कानून बनाने वाला देश में राजस्थान पहला राज्य है। सब लोग जानते हैं कि कानून आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, आशा की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष विवेकपूर्ण निर्णय लेकर संवाद के माध्यम से इस समस्या से राजस्थान की जनता को इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे।

इस पूरे प्रकरण में जहां सरकार को संवेदनशील रख अपनाने की आवश्यकता है, वहीं जो निजी चिकित्सक हड़ताल पर हैं उन्हें भी तत्काल अपनी हड़ताल समाप्त कर वार्ता के जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, अन्यथा जनता का समर्थन भी चिकित्सकों को नहीं मिलेगा। जब जनता परेशान होगी तो वह इस हड़ताल को बंद कराने हेतु स्वयं सड़कों पर उतर सकती है। तब जो स्थिति बनेगी वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी। दोनों पक्षों से अपेक्षा है कि वह राज्य के नागरिकों के हित में इसका एक हल संवाद के माध्यम से निकालो। राज्य सरकार इस बात पर प्रसन्न हो सकती है कि ऐसा कानून बनाने वाला देश में राजस्थान पहला राज्य है। सब लोग जानते हैं कि कानून आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, आशा की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष विवेकपूर्ण निर्णय लेकर संवाद के माध्यम से इस समस्या से राजस्थान की जनता को इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे।

-अतिथि सम्पादक,  
राजेन्द्र भाणवत  
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

2018 में जब मोटे अनाज को पोषक अनाज घोषित कर प्रमोट करने का अभियान चलाया गया हालांकि तब पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ मोटे अनाज के महत्व को समझते हुए 2023 को इंटरनेशनल मिलेट डेयर घोषित कर देगा। यह भी नहीं लगता था कि दुनिया के देश इतनी जल्दी मोटे अनाज के प्रति जागरूक होंगे। दरअसल जिस तरह से हमारे खान-पान के चलते एक के बाद एक बीमारियों से दो चार होने लगे हैं ऐसे में मोटा अनाज एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। पर जिस तरह से अभियान चलाकर मोटे अनाज को प्रमोट करने का अभियान चलाया गया है तो देश विदेश में मोटे

अनाज का गुणगान होने लगा है। मोटापा, डायबिटीज, विटामिन की डेफिसिएंसी, बढ़ती हार्ट डिजिजेज, एनियमिया, डाइजिनेशन प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी या यों कहें कि अच्छा खाने के बाद भी खोखले होते शरीर के कारण केमिकल्स पर आधारित दवाओं से अलग हटकर अब लोग मोटे अनाज में विकल्प खोजने लगे हैं। हालांकि यह तो शुरुआत है और सफर लंबा और कठिनाइयों से भरा है। हमें अभी से भविष्य की मांग पूरी करने की रणनीति बनानी होगी।

दरअसल साठ के दशक तक हमारे यहां खासतौर से गांवों का मुख्य भोजन मोटा अनाज ही रहा है। 1960 के दशक में बार बार अकाल के चलते खाने-पीने संकट के विकल्प के रूप में हरित क्रांति का दौर आरंभ हुआ और ऐसे में खाने-पीने उत्पादन बढ़ाना पहली प्राथमिकता बनी। हालांकि यह समय की मांग थी थी तो आवश्यकता भी। इस तरह से गेहूं को मुख्य विकल्प माना गया। इसके बाद एक ओर गेहूं के आयात, गेहूं के उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने के नाम पर रासायनिक उर्वरकों का दौर शुरु हुआ। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार तंत्र को एग्रेसिव किया गया और आज हमारे

कृषि वैज्ञानिकों, नीति नियंत्रणों और अन्नदाता को मेहनत से देश खाने को लेकर आत्मनिर्भर बन गया है। यहां तक कि कोरोना त्रासदी से लेकर अब तक जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क खाने की उपलब्धता बढ़ा सहारा बनी है। हरित क्रांति समय की मांग थी और आज भी है। हालांकि आज दुनिया के देश तेजी से ओरगेनिक खेती और परंपरागत खेती पर जोर देने लगे हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से उर्वरा शक्ति प्रभावित होने के साथ ही जहरीले कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव को भी देखा जाने लगा है।

मोटा अनाज एक समय हमारा प्रमुख भोजन होता था। आज भी दुनिया में कुल उत्पादित मोटे अनाज में हमारे देश की भागीदारी 41 प्रतिशत है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि प्रमुख राज्य भी आज मोटे अनाज के निर्यात में ही भाग ले रहे हैं। हमारे देश से गए साल 2.69 करोड़ डॉलर का मोटा अनाज अमेरिका को निर्यात किया गया है। मोटे रूप से 13 प्रकार के अनाज को मोटे अनाज के रूप में माना जाता है। इनमें से प्रमुख रूप से 8 अनाजों बाजरा, रागी, कुटकी, संवा,

ज्वार, कंगनी, चेना और कोंदों को माना जाता है। 2020 में देश में 1.2 करोड़ मेट्रिक टन उत्पादन रहा है। मोटे अनाज को प्रमोट करने के विश्वव्यापी प्रयास आरंभ हो गए हैं। युवा एंटरप्रेनोयर्स स्टार्टअप के माध्यम से आगे आ रहे हैं। लोगों को मिलेट रिसीपी माने भी लगी है। लोग इनके महत्व को समझने लगे हैं। एक समय था जब घर पर मेहमान आने पर ही गेहूं की चपाती बनती थी। मोटा अनाज धीरे धीरे पदों के पीछे चला गया और मोटे अनाज का उत्पादन और उपयोग दोनों ही प्रभावित हुए। यह सब तो तब रहा जब कि बाजरा आदि मोटे अनाज के खेती करने पर कम पानी और कम लागत आती है तो दूसरी ओर मोटा अनाज प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्द्धक तत्वों से भरपूर रहे हैं और इनकी उपयोगिता को आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। दरअसल हम जिस तरह से विकास के नाम पर प्रकृति से दूर होते गए वैसे वैसे ही प्राकृतिक तत्वों से भरपूर चीजें हमारी प्राथमिकता से दूर होती गईं। अन्यथा प्रकृति स्वयं तय करती रही है। और मौसम के अनुसार फसलों के पैदावार तय रही है। मौसम के अनुसार खेती होने से फसलों के तासीर भी पैदावार पक कर बाजार में आने के बाद उसके उपयोग से तय होती रही है। मोटा अनाज

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,  
(वरिष्ठ लेखक)

## अरावली की वादियों में निखर रहा "बरना ट्री" का सौंदर्य

उदयपुर, (कांस)। समृद्ध जैव विविधता वाले मेवाड़ अंचल में छितराई अरावली की वादियों में इन दिनों पीली, सफेद और हल्की हरी आभा के साथ एक आकर्षक पेड़ सम्मोहित करता प्रतीत हो रहा है, अर्न्तु सौंदर्य से युक्त यह वृक्ष "बरना ट्री" है। समृद्ध सांस्कृतिक महत्व, विविध उपयोगों और कठोर प्रकृति के लिए सबसे अलग माने जाने वाले बरना ट्री को क्रेटिविया रिलिजियोसा या गार्लिक पीपर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ भारत का मूल निवासी है और देश के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में पाया जाता है।


पर्यावरणीय विषयों के जानकार इंद्रजीत माथुर बताते हैं कि बरना वृक्ष एक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है, जिसकी औसत ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। यह एक सीधे, बेलनाकार टूंक और घने पत्ते के साथ एक व्यापक मुकुट की विशेषता है। पेड़ की पत्तियां गहरे हरे रंग की और चमकदार होती हैं और छाल हल्के भूरे रंग की, खुरदरी बनावट वाली होती है। बरना वृक्ष के फूल छोटे और पीले रंग के होते हैं, और ये बसंत के मौसम में

गुच्छों में खिलते हैं। पेड़ एक छोटा फल पैदा करता है जो हरे रंग का होता है और इसमें कठोर, लकड़ी की कठोर और टिकाऊ होती है और इसका उपयोग फर्नीचर, कृषि उपकरण और विभिन्न घरेलू सामान बनाने के लिए किया जाता है। पेड़ की पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, और फलों का उपयोग पक्षियों और छोटे जानवरों के भोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेड़ का उपयोग मिट्टी के संरक्षण के लिए भी किया जाता है, और यह उस मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए जाना जाता है जिसमें यह बढ़ता है।

अपने सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के अलावा, बरना वृक्ष की पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक कठोर पौधा है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है और यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है। यह छाया का भी एक अच्छा स्रोत है और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है। पेड़ की पत्तियों की तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और विभिन्न पक्षियों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करता है। क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन

सांस्कृतिक और औषधीय महत्व के अलावा, बरना वृक्ष के कई अन्य उपयोग हैं। पेड़ की लकड़ी कठोर और टिकाऊ होती है और इसका उपयोग फर्नीचर, कृषि उपकरण और विभिन्न घरेलू सामान बनाने के लिए किया जाता है। पेड़ की पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, और फलों का उपयोग पक्षियों और छोटे जानवरों के भोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेड़ का उपयोग मिट्टी के संरक्षण के लिए भी किया जाता है, और यह उस मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए जाना जाता है जिसमें यह बढ़ता है।

अपने सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के अलावा, बरना वृक्ष की पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक कठोर पौधा है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है और यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है। यह छाया का भी एक अच्छा स्रोत है और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है। पेड़ की पत्तियों की तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और विभिन्न पक्षियों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करता है। क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन



उदयपुर में फूलों से महकता बरना ट्री।

को बेहतर बनाने में मददगार इस पेड़ पर 1981 में, भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था, जिसमें इसके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। राज्य सरकार द्वारा भी इसे दुर्लभ वृक्ष की श्रेणी में रखा है।

## श्री महावीरजी में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया

श्री महावीरजी, (निसं)। सोमवार को महावीर जयंती बड़ी धूमधाम व हार्मोल्लास के साथ मनाई गई। प्रातःकाल श्री जो का अभिषेक मुनि 108 चिन्मयानंद जी सागर महाराज के सानिध्य में पंडित मुकेश जैन शास्त्री द्वारा शांतिधारा मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ किया गया।

प्रातः छह बजे कटला प्रांगण से दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्राओं व शांति नगर गुरुकुल के छात्रों द्वारा जैन धर्म का जयघोष करते हुए वह केसरिया ध्वज लहराते हुए अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी जुलूस में मार्केट होते हुए मुख्य मंदिर पहुंचा जहां पर कटला प्रांगण में झंडारोहण किया गया। कटला प्रांगण से जल यात्रा जुलूस बैंड बाजों के साथ निकला गया जिसमें आगे आगे केसरिया ध्वज लहराते हुए छात्राएं चल रही थी एवं



प्रदर्शनी के दौरान जिला कलेक्टर व एसपी ने दिव्यांगों को ट्राई साईकिल भेंट की।

चंदनबाला महिला मंडल व सुष्टि महिला मंडल आदि जैन समाज के गणमान्य लोगों द्वारा गाजे-बाजे के साथ विश्व वंदनीय शासन नायक

श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्राओं एवं शांति नगर गुरुकुल के छात्रों मोदक वितरण किए गए। दोपहर चार बजे बजे मुख्य अतिथि द्वारा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस का मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल व मानद मंत्री महेंद्र कुमार पाटनी, संयुक्त मंत्री उमरावमल संधी ने माला पहना कर तिलक लगाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने प्रदर्शनी का फीता काटकर दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन व प्रदर्शनी का अत्युत्सव किया। प्रदर्शनी प्रांगण पर दिव्यांगों को ट्राई साईकिल, कुत्रिम पैर, बैसाखी, कैलीपर्स तथा असमर्थ एवं विधवा महिलाओं को हाथ की सिलाई मशीनें वितरित की गई।

कटला प्रांगण से मेन मार्केट होते हुए बगीची पहुंचा। जहां पर श्रीजी के कलशों की बोली लगाई गई। तत्पश्चात जल यात्रा जुलूस मुख्य मंदिर पहुंचा।

### राशिफल मंगलवार 4 अप्रैल, 2023



पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2080, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:36 तक, वृद्धि योग रात्रि 3:38 तक, तैतिल करण प्रातः 8:05 तक, चन्द्रमा सांय 4:05 पर कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-मेष, गुरु-मीन, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में। आज शिवदसमनक चतुरदशी, नृसिंह दोलोत्सव, महावीर जयन्ती है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:26 से 10:59 तक, लाभ-अमृत 10:59 से 2:04 तक, शुभ 3:37 से 5:09 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:19, सूर्यास्त 6:41

**मेष**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

**वृष**  
मित्रों/रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकते हैं और समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

**मिथुन**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संचालित स्रोत से धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान को यात्रा संभव है।

**कर्क**  
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान को यात्रा संभव है।

**सिंह**  
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। आवश्यक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

**कन्या**  
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलंब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बने कार्य विगड़ सकते हैं। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

**तुला**  
परिवार में प्रसन्नता-हार्मोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

**वृश्चिक**  
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बना रहेगा।

**धनु**  
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

**मकर**  
परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानों का सामना करना पड़ सकता है।

**कुंभ**  
नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में सहयोग से महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मीन**  
अपने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। धार्मिक स्थान को यात्रा संभव है।